



Neutral Citation No. - 2026:AHC:171169

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बीएनएसएस की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या - 8513 वर्ष 2026

प्रमोद कुमार चौरसिया और अन्य

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : अनिरुद्ध चतुर्वेदी, मुन्ना तिवारी

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 75

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी

1. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए., प्रथम सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया गया।

2. वर्तमान आवेदन वाद संख्या 3940 वर्ष 2026 (राज्य बनाम प्रमोद कुमार चौरसिया एवं अन्य), जो मुकदमा अपराध संख्या 22 वर्ष 2025, धारा 319(2), 318(3), 61(2) बी.एन.एस. तथा धारा 66डी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, थाना चेतगंज, जिला वाराणसी से उत्पन्न हुआ है और विद्वान सिविल जज (जूनियर डिवीजन)-प्रथम, जिला वाराणसी के न्यायालय में लंबित है, की कार्यवाही

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



को निरस्त करने के साथ-साथ दिनांक 26.12.2025 की आरोप-पत्र तथा उपर्युक्त वाद में पारित दिनांक 07.02.2026 के संज्ञान/समन आदेश को भी निरस्त करने के लिए प्रस्तुत किया गया है।

3. दिनांक 26.02.2026 के आदेश द्वारा इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने मामले को इस न्यायालय के मध्यस्थता एवं सुलह केंद्र के समक्ष संदर्भित किया था। इस न्यायालय के मध्यस्थता केंद्र के प्रभारी ने अपनी दिनांक 10.07.2026 की रिपोर्ट द्वारा सूचित किया है कि पक्षकारों के मध्य सभी विवादों एवं मतभेदों का सुलह/मध्यस्थता की प्रक्रिया के माध्यम से सौहार्दपूर्ण ढंग से निस्तारण हो गया है, जिसे दिनांक 10.07.2026 के समझौता करार के पैरा संख्या 8 में लिखित रूप में दर्ज किया गया है। उक्त रिपोर्ट की प्रति अभिलेख पर है।

4. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि पक्षकारों के मध्य कुछ गलतफहमी और भ्रांतियों के कारण प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। समय बीतने के साथ वे अपने मतभेदों को दूर करने में सक्षम हुए हैं और उन्होंने लिखित रूप में अपने विवाद का सौहार्दपूर्ण ढंग से निस्तारण कर लिया है, जिसका विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा भी सत्यापन किया गया है। उन्हें यह एहसास हुआ है कि आवेदकों की ओर से कोई आपराधिक मंशा नहीं थी और आवेदकों द्वारा कोई आपराधिक अपराध नहीं किया गया है।

5. राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दलील की सत्यता अथवा उनके द्वारा भरोसा किए गए दस्तावेजों की सत्यता का खंडन नहीं कर सके। उन्होंने प्रस्तुत किया कि यदि उपर्युक्त वाद की कार्यवाही निरस्त कर दी जाती है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

6. यह प्रस्तुत किया गया है कि उक्त समझौते के दृष्टिगत, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लंबित कार्यवाही को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **बी.एस. जोशी बनाम हरियाणा राज्य और अन्य,**

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2003(4) एससीसी 675 तथा ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य, 2012(10) एससीसी 303 में दिए गए निर्णयों के आलोक में निरस्त किया जाना चाहिए।

7. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **बी.एस. जोशी (उपर्युक्त)** के मामले में अभिनिर्धारित किया है कि यदि पक्षकारों के मध्य समझौते/सुलह के माध्यम से विवाद समाप्त हो गया है, तो धारा 320 भा.दं.सं. में निहित किसी बात के बावजूद, पक्षकारों के मध्य दर्ज समझौते के दृष्टिगत, इस न्यायालय के लिए अपनी अंतर्निहित शक्तियों के अधीन धारा 498-ए भा.दं.सं. आदि की कार्यवाही को निरस्त करने में कोई विधिक बाधा नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **ज्ञान सिंह (उपर्युक्त)** के मामले में पैरा-61 में अभिनिर्धारित किया है कि:-

“उच्च न्यायालय द्वारा अपनी अंतर्निहित अधिकारिता का प्रयोग करते हुए आपराधिक कार्यवाही अथवा प्रथम सूचना रिपोर्ट अथवा शिकायत को निरस्त करने की शक्ति, धारा 320 के अंतर्गत अपराधों के शमन के लिए आपराधिक न्यायालय को प्रदान की गई शक्ति से भिन्न और विशिष्ट है। अंतर्निहित शक्ति व्यापक है और उस पर कोई सांविधिक सीमा नहीं है, किंतु इसका प्रयोग ऐसी शक्ति में निहित दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाना चाहिए, अर्थात् (i) न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए अथवा (ii) किसी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए। किन मामलों में, अपराधी और पीड़ित द्वारा अपने विवाद का निस्तारण कर लिए जाने के पश्चात आपराधिक कार्यवाही अथवा शिकायत अथवा प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त करने की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करेगा और इसकी कोई श्रेणी निर्धारित नहीं की जा सकती। तथापि, ऐसी शक्ति का प्रयोग करने से पूर्व उच्च न्यायालय को अपराध की प्रकृति एवं गंभीरता पर समुचित ध्यान देना चाहिए। मानसिक विकृति से संबंधित जघन्य एवं गंभीर अपराध अथवा हत्या, बलात्कार, डकैती आदि जैसे अपराधों को

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उचित रूप से निरस्त नहीं किया जा सकता, भले ही पीड़ित अथवा पीड़ित के परिवार और अपराधी ने विवाद का निस्तारण कर लिया हो। ऐसे अपराध निजी प्रकृति के नहीं होते हैं और समाज पर गंभीर प्रभाव डालते हैं। इसी प्रकार, विशेष विधियों, जैसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, के अंतर्गत अपराधों अथवा लोक सेवकों द्वारा अपने पद पर कार्य करते हुए किए गए अपराधों के संबंध में पीड़ित और अपराधी के बीच कोई समझौता, ऐसे अपराधों से संबंधित आपराधिक कार्यवाही को निरस्त करने का आधार प्रदान नहीं कर सकता। किंतु वे आपराधिक मामले, जिनमें दीवानी तत्व अत्यधिक और प्रमुख रूप से विद्यमान हों, निरस्त किए जाने के उद्देश्य से भिन्न आधार पर होते हैं, विशेषकर वे अपराध जो वाणिज्यिक, वित्तीय, व्यापारिक, दीवानी, साझेदारी अथवा इसी प्रकार के लेन-देन से उत्पन्न हुए हों, या वे अपराध जो दहेज आदि से संबंधित वैवाहिक मामलों से उत्पन्न हुए हों अथवा पारिवारिक विवाद हों, जहां किया गया कृत्य मूलतः निजी या व्यक्तिगत प्रकृति का हो और पक्षकारों ने अपने संपूर्ण विवाद का समाधान कर लिया हो। इस श्रेणी के मामलों में उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही को निरस्त कर सकता है, यदि उसके विचार में अपराधी और पीड़ित के बीच समझौते के कारण दोषसिद्धि की संभावना दूरस्थ और क्षीण हो गई हो तथा आपराधिक मामले को जारी रखने से अभियुक्त को अत्यधिक उत्पीड़न और प्रतिकूलता का सामना करना पड़ेगा तथा पीड़ित के साथ पूर्ण और संपूर्ण निस्तारण एवं समझौता हो जाने के बावजूद आपराधिक मामले को निरस्त न करने से उसके साथ अत्यधिक अन्याय होगा। दूसरे शब्दों में, उच्च न्यायालय को यह विचार करना चाहिए कि क्या समझौते और सुलह के बावजूद आपराधिक कार्यवाही को जारी रखना अनुचित होगा अथवा न्याय के हित के प्रतिकूल होगा या आपराधिक कार्यवाही को जारी रखना विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा तथा क्या न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए आपराधिक मामले को समाप्त करना उचित है। यदि उपर्युक्त प्रश्नों का उत्तर

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सकारात्मक है, तो उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही को निरस्त करने के अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर होगा।”

8. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी दलील के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय के **नरिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2014) 6 एससीसी 466, योगेन्द्र यादव बनाम झारखंड राज्य, (2014) 9 एससीसी 653 और परबतभाई अहीर बनाम गुजरात राज्य, (2017) 9 एससीसी 641** में दिए गए निर्णयों पर भी भरोसा किया है और प्रस्तुत किया है कि आवेदकों तथा प्रतिवादी पक्षकार संख्या 4 ने समझौते के माध्यम से अपने मतभेदों का निस्तारण कर लिया है और इस प्रकार प्रतिवादी पक्षकार संख्या 4 अब आवेदकों के विरुद्ध उपर्युक्त मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहता है। प्रतिवादी पक्षकार संख्या 4 आवेदकों के विरुद्ध अभियोजन वापस लेने के लिए तैयार है और समझौते के दृष्टिगत यदि अभियोजन को जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

9. अभिलेख के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि पक्षकारों ने समझौता कर लिया है और प्रतीत होता है कि उन्होंने अपने वास्तविक विवादों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निस्तारण कर लिया है, जिसका अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी सत्यापन किया गया है, जिसकी रिपोर्ट की प्रति अभिलेख पर है। अतः यह भी प्रतीत होता है कि प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2, जो विचारण आगे बढ़ने की स्थिति में अभियोजन का प्रमुख साक्षी होगा, ने विचारण के दौरान पक्षद्रोही होने की अपनी स्पष्ट एवं असंदिग्ध मंशा व्यक्त की है। ऐसी परिस्थितियों में, मामले के गुण-दोष एवं सत्यता को अलग रखते हुए भी, यदि विचारण की कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दी जाती है, तो यह विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के बहुमूल्य समय की काफी हद तक बर्बादी हो सकती है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. न्यायालय इस कठोर वास्तविकता से आंखें नहीं मूंद सकता कि वर्तमान मामले तथा इसी प्रकार के अन्य मामलों के तथ्य ऐसी स्थिति प्रस्तुत करते हैं, जहां यद्यपि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोप किसी अपराध के तत्वों को अवश्य दर्शाते हैं, तथापि इस प्रकार के समझौते के हो जाने के कारण दोषसिद्धि की संभावनाएं न केवल क्षीण हो जाती हैं, बल्कि यदि ऐसे विचारणों को उन अन्य सभी विचारणों के साथ जारी रखने की अनुमति दी जाती है, जो राज्य के लगभग सभी आपराधिक न्यायालयों में बड़ी संख्या में लंबित पड़े हुए हैं, तो वर्तमान मामले जैसे मामलों में विचारण की निरंतरता केवल उन अन्य मामलों के लिए अत्यधिक नुकसानदेह सिद्ध हो सकती है, जहां वादकारी न्याय की गुहार लगा रहे हैं।

11. सामान्य परिस्थितियों में न्यायालय ऐसे कुछ समझौता व्यवस्थाओं को स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक होता। दुर्भाग्यवश, आपराधिक मामलों की अत्यधिक लंबितता तथा झूठ बोलने और असत्य कथन करने की समाज में दिखाई देने वाली अत्यधिक प्रवृत्ति के कारण न्यायालय को यह मार्ग भी उचित नहीं लगता—जहां प्रतिशोध लेने की इच्छा कभी-कभी न्याय की शुद्ध खोज पर हावी होती प्रतीत होती है; जहां विधिक लड़ाई जीतना सही कार्य करने से अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है; जहां अपने विरोधी को सबक सिखाना अक्सर आपराधिक कार्यवाही संस्थित करने का एकमात्र उद्देश्य प्रतीत होता है।

12. अतः समाज में प्रचलित प्रवृत्तियों को देखते हुए न्यायालय के समक्ष अधिक व्यावहारिक और कम तकनीकी दृष्टिकोण अपनाना उचित प्रतीत होता है—अर्थात् वर्तमान मामले जैसे कुछ आपराधिक अभियोजनों को समाप्त कर दिया जाए, ताकि अन्य मामलों में अधिक प्रभावी, सक्षम और उचित विचारण सुनिश्चित किया जा सके, जहां वादकारी अपने अधिकारों के प्रति गंभीर प्रतीत होते हैं और अपने दृष्टिकोण में अधिक सुसंगत हैं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



13. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा पक्षकारों के बीच हुए समझौते के संबंध में पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार करते हुए तथा इन सभी कारकों को समग्र रूप से ध्यान में रखते हुए, पक्षकारों के बीच हुए समझौते को स्वीकार किया जाता है। साथ ही, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जियान सिंह बनाम पंजाब राज्य, 2012(10) एससीसी 303, नरिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य (उपर्युक्त), योगेन्द्र यादव बनाम झारखण्ड राज्य (उपर्युक्त) और पर्वतभाई अहीर बनाम गुजरात राज्य (उपर्युक्त) में प्रतिपादित विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, उपर्युक्त वाद की संपूर्ण कार्यवाही एतद्वारा निरस्त की जाती है।

14. तदनुसार, आवेदन स्वीकार किया जाता है।

(न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी)

11 अगस्त, 2026

एस. अली